कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ), राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.(169) Project / उवस / सूप्रौ / 17–18 / 552 दिनांक : 11/4/2018

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश कमांक प.12(9) वन / 2018 दिनांक 09.04.2018 से (प्रति संलग्न) से राजस्थान वन सेवा के समस्त अधिकारियो के वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 राजकाज Software के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। वर्ष 2017–18 से प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा अंकित एवं डाक द्वारा प्रेषित वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन स्वीकार नही किये जायेगे।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि समस्त राजस्थान वन सेवा के अधिकारी वर्ष 2017–18 का वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन राज्य आदेश अनुसार ऑनलाईन निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करे। सभी प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकारकर्ता अधिकारी भी अपनी टिप्पणी भी निर्धारित अवधि में ऑनलाईन ही करेगें सभी अधिकारी Hieararchy में चयन करते समय MARK to पर श्री प्रदीप चन्द जैन, निजि सचिव, वन विभाग जयपुर को चयन करेगे जिससे PAR स्वीकार होने के उपरान्त अवलोकन कराने हेतु श्री प्रदीप जैन, निजि सचिव, के पास पहुचे। श्री दिनेश गुर्जर ACP (DD) मो. 8368045909 ई–मेल–dineshgurjar.doit@rajasthan.gov.in के निंदेशन में निम्न सूचना सहायको को उनके नाम के आगे अंकित सम्भाग के अधिकारियो को तकनिकी सहायता प्रदान करने हेतु निंदेशित किया जाता है।

क.स.	नाम	पद	मोबाईल न.	आवंटित सम्भाग
1	अनामिका	सूचना सहायक	8078680312	अरण्य भवन, जयपुर
2	अपेक्षा शर्मा	सूचना सहायक	9529737725	उदयपुर
3	दीपिका मीणा	सूचना सहायक	9782370077	कोटा
4	गीतू वर्मा	सूचना सहायक	8432290696	जोधपुर
5	ज्योति मुण्डोतिया	सूचना सहायक	7737264200	भरतपुर.
6	मनीष कुमार बडेरिया	सूचना सहायक	9024714272	अजमेर
7	सारिका बाजोलिया	सूचना सहायक	9828065006	बीकानेर
8	सुनीता मीणा	सूचना सहायक	8764145865	वन्य जीव प्रभाग के कार्यालय
9	अर्चना ,	सूचना सहायक,	8559859543	अरावली भवन, जयपुर स्थित समस्त मुख्य वन संरक्षक संभाग

11/4/18

(डॉ ए.के.गोयल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ.(169) Project / उवस / सूप्रौ / 17–18 / दिनांक :

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव अति मुख्य सचिव, वन शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अध्यक्ष राजस्थान बायोडार्वसिटी बोर्ड जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) / निदेशक प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव, प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास / मुख्यालय / उत्पादन / FCA /भूसंरक्षण / M&E/ वनसुरक्षा / सिल्वा / प्रशासन / एन.टी.एफ.पी. / राजस्थान जैव विविधता परियोजना–II राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय मुख्य वन संरक्षक,बीकानेर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / जयपुर / अजमेर / भरतपुर।
9. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव भरतपुर / वन्य जीव जोधपुर / वन्य जीव कोटा / वन्य जीव, उदयपुर / वन्य जीव जयपुर / विभागीय कार्य जयपुर, आर.वी.पी. कोटा एवं एफ.पी.आर. जयपुर को देकर निवेदन है कि आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।
10. मुख्य वन संरक्षक एव क्षेत्र निदेशक बाध परियोजना सरिस्का (अलवर) / सवाईमाधोपुर।
11. श्री दिनेश गुर्जर ACP (DD) अरण्य भवन, जयपुर।
12. श्री प्रदीप चन्द जैन निजी सचिव वन विभाग अरण्य भवन जयपुर
13. अनामिका, अपेक्षा शर्मा, दीपिका मीणा, गीतू वर्मा, ज्योति मुण्डोतिया, मनीष कुमार बडेरिया, सारिका बाजोलिया, सुनीता मीणा, अर्चना सूचना सहायक को पालनार्थ।

(बिपिन कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकःप0 12(4)वन/05

आदेश

जयपुर,दिनांक 17 JUL 2007

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 13(51)कार्मिक/एसीआर/90 दिनांक 9–12–1997 के द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के नवीन परिपत्र प्रचलित किये गये है। इन परिपत्रों के आधार पर इस विभाग के आदेश क्रमांक प0 14(12)वन/91 दिनांक 11–3–1999 से प्रतिवेदन विभिन्न स्तरों पर भरने के लिए निर्धारण किया गया था। इसको अतिक्रमण कर राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों को भरने के सम्बन्ध में स्तरों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है ::–

क्र0 सं0	नाम पद	प्रतिवेदक	समीक्षक	स्वीकारकर्ता
1	**उप वन संरक्षक** 1. प्रावैधिक सहायक	वन संरक्षक/संबंधित मुख्य वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव/सचिव,वन/मा0वन मंत्री
	2–भू–संरक्षण अधिकारी वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी उप निदेशक, विश्व खादय कार्यक्रम	वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव/सचिव,वन/मा0वन मंत्री
	3–उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उप वन संरक्षक वन्यजीव	वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संबंधित)	प्रमुख शासन सचिव/सचिव,वन/मा0वन मंत्री
2.	**सहायक वन संरक्षक** 1–सहायक वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव/सचिव,वन
	2–सहायक निदेशक, विश्व खादय कार्यक्रम	उप निदेशक	वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव/सचिव,वन
	वन्यजीव प्रतिपालक	उप वन संरक्षक	वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव/सचिव,वन
	3–अनुसंधान अधिकारी/सहायक क्षैत्र निदेशक	उप वन संरक्षक/वन संरक्षक	वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव/सचिव,वन
3.	सहायक भू–संरक्षण अणिकारी/सहायक अभियन्ता	उप वन संरक्षक/भू–संरक्षण अधिकारी/अधिशाषी अभियन्ता	वन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव/सचिव,वन
4.	सहायक उधान विशेषज्ञ	उप वन संरक्षक	वन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव/सचिव,वन

आज्ञा से,

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
शासन उप सचिव

राजस्थानसरकार
वन विभाग

क्रमांक : प. 12(9)वन/2018 जयपुर, दिनांकः– 9 APR 2018

परिपत्र

विषयः–राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों द्वारा अपने वर्ष 2017–18 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) राज काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन भरे जाने बाबत्।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक F(913)/DoIT/Tech/2015 Dated 4 दिसम्बर 2015 के क्रम में राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017–18 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) राज काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन भरा जावेगा।

राजस्थान वन सेवा के समस्त अधिकारीगण अपने SSO ID के द्वारा लॉग इन कर राज काज सॉफ्टवेयर के APAR MODULE में स्वंय के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का अनुक्रम चैनल अनुसार (प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता प्राधिकारी) नियत (Fixed) करेंगे एवं प्रतिवेदन चैनल अनुसार पूर्ण कर अगले स्तर पर अग्रेषित करेंगे।

राजस्थान वन सेवा अधिकारी के राज काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन भरे गये कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा ई–साइन के माध्यम से सत्यापित किया जावेगा।

वर्ष 2017–18 से टंकित एवं डाक द्वारा प्रेषित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नही किये जावेंगे। किन्तु जिन अधिकारियों के निर्धारित चैनल में यदि राजनेताओं की टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक हो तो उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑफ लाइन भी भरे जा सकेंगे

राजस्थान वन सेवा के सभी अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्ष 2017–18 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) राज काज सॉफ्टवेयर द्वारा आवश्यक रूप से ऑन लाईन भरा जाना सुनिश्चित करें।

यह परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Sd/-
(महावीर प्रसाद वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव,।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वन
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वन
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान वन सेवा अधिकारियों की एसीआर, निर्धारित चैनल के अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता तीनों अधिकारियों के ई–साईन के द्वारा ही ऑन–लाईन भरवाकर तथा उक्त एसीआर का प्रिन्ट निकालकर सम्बन्धित अधिकरी से अवलोकन करवाकर इस प्रमाण पत्र के साथ कार्मिक विभाग को भिजवाये कि उक्त एसीआर निर्धारित चैनल अनुसार पूर्ति कराकर अवलोकन करा दिया गया है।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्यआयोजना एवं वन बन्दोबस्त) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।

9/4/2018
संयुक्त शासन सचिव